न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा आ0ए0एस0

मुकदमा संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
76 / 18	27.04.2018	30.05.2018

1. जगदीश पुत्र श्री देवकरण जाति अहीर निवासी ईकरोटिया तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0।

:– वादी

:: बनाम ::

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री देवकरण जाति अहीर निवासी ईकरोटिया तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0 वगैरा।
2. सहायक अभियन्ता जयपुर वि0वि0नि0लि0 कोटकासिम जिला–अलवर राज0।
3. श्रीमान उप पंजियक महोदय कोटकासिम, जिला–अलवर राज0।
4. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर कोटकासिम जिला–अलवर राज0।
5. पी0एन0बी0 शाखा कोटकासिम जरिये शाखा प्रबन्धक पी0एन0बी0 कोटकासिम जिला अलवर राज0।

:–प्रतिवादीगण

दावा तकासमा आराजी बमय हुक्म ईम्तनाई
दवामी अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्ताकारी
अधिनियम सन् 1955

उपस्थितः–

2. श्री मनोज कुमार यादव अभिभाषक वादी
3. श्री भगत सिंह चौधरी अभिभाषक प्रतिवादी सं01

वादी मय अधिवक्ता ने इस न्यायालय मे उपस्थित होकर एव वाद दावा तकासमा मय हुकमईम्तनाई दवामी अ0धा0 53, 188 राज0का0अधि0 इस आश्य का पेश किया कि आराजी हाल आराजी खं0 सं0 302 रकबा 0.12 है0, 303 रकबा 0.94 है0, 310 रकबा 0.26 है0, 462 रकबा 0.53 है0, 478 रकबा 0.43 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.28 है0 वाके मौजा ईकरोटिया तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 में स्थित है। उपरोक्त विवादित आराजी मिन वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की मुश्तर्का कब्जा काश्त एवं खातेदारी की आराजी है की जिस पर हम सामलात में ही काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है जो की अबट आराजी है जिसका अभी तक किसी प्रकार से कोई कानूनी रूप से बाई मीट्स एण्ड बाउन्डस तकासमा नही हुआ है। हिस्सा हम पक्षकारान का मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी दर्ज है। तथा हिस्सानुसार ही जमा सरकारी राजकोष में सामलात में अदा कर रहे है।

विवादित आराजी के मुश्तर्का कब्जा काश्त को लेकर प्रतिवादी संख्या 1 आये रोज सामलाती कब्जा वादी में मजाहमत पैदा करता है। तथा वादी को जब्रन बेदखल कर कब्जा करने की ऐलानिया तौर पर धमकी देता है जिसकी बाबत मिन वादी ने प्रतिवादी को कई मर्तबा

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

विवादित आराजीयात को हिस्सानुसार कानूनी रूप से बाई मीट्स एण्ड बाउन्डस तकसीम कराकर अलहेदा अलहेदा खाते कायम कराकर कुरेजात करवाने को कहा है। की जो हर बार टाल बाल करता रहा है लेकिन अब दिनांक 15.04.2018 को प्रतिवादी ने सामलाती कब्जा काश्त वादी में मजाहमत मदाखलत पैदा करने की धमकी दी आराजी को तकसीम कराने से इन्कार कर दिया है तथा ख0 सं0 302 में बिना तकसीम कराये ही अपने नाम से प्रतिवादी संख्या 2 से साज बाज होकर अपने नाम विधुत संबंध लेने की ऐलानिया तौर पर धमकी दी है विवादित आराजी हम पक्षकारान की मुश्तर्का कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है यदि प्रतिवादी अपने बेजा मन्सूबो में कामयाब हो गया तो मिन वादी को अपने सामलाती कब्जा काश्त खातेदारी आराजी के अधिकारो से महरूम होना पड जावेगा इसलिये वादी अपने अधिकारो की रक्षार्थ विवादित आराजी को मुताबिक दर्ज हिस्सा राजस्व रिकार्ड कानूनी रूप से बाई मीट्स एण्ड बाउन्डस तकसीम कराकर अलहेदा अलहेदा खाते कायम कराकर कुरेजात करवाने का अधिकारी है अतः दावा तकासमा पेश करना लाजिम आया है।

विवादित आराजी के मुश्तर्का कब्जा काश्त को लेकर प्रतिवादी संख्या 1 आये रोज सामलाती कब्जा वादी में मजाहमत पैदा करता है। तथा वादी को जब्रन बेदखल कर कब्जा करने की ऐलानिया तौर पर धमकी देता है जिसकी बाबत मिन वादी ने प्रतिवादी को कई दफा विवादित आराजीयात को हिस्सानुसार कानूनी रूप से बाई मीट्स एण्ड बाउन्डस तकसीम कराकर अलहेदा अलहेदा खाते कायम कराकर कुरेजात करवाने को कहा है। की जो हर बार टाल बाल करता रहा है लेकिन अब दिनांक 15.04.2018 को प्रतिवादी ने सामलाती कब्जा काश्त वादी में मजाहमत मदाखलत पैदा करने की धमकी दी आराजी को तकसीम कराने से इन्कार कर दिया है तथा ख0 सं0 302 में बिना तकसीम कराये ही अपने नाम से प्रतिवादी संख्या 2 से साज बाज होकर अपने नाम विधुत संबंध लेने की ऐलानिया तौर पर धमकी दी है विवादित आराजी हम पक्षकारान की मुश्तर्का कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है यदि प्रतिवादी अपने बेजा मन्सूबो में कामयाब हो गया तो मिन वादी को अपने सामलाती कब्जा काश्त खातेदारी आराजी के अधिकारों से महरूम होना पड जावेगा सुविधा का संतुलन व नापूर्तिनिय क्षति बहक वादी है इसलिये वादी अपने अधिकारो की रक्षार्थ वादी प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म ईम्तनाई दवामी से पाबन्द करवाने का अधिकारी है। अतः दावा हुक्म ईम्तनाई दवामी पेश करना लाजिम आया है।

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार साहब लैण्ड होल्डर को बिना 2 माह का कानूनी नोटिस दिये ही वाद में आवश्यक पक्षकारा बनाया गया है जबकि उनके विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व 2 माह का कानूनी नोटिस दिया जाना आवश्यक था मामला अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण बिना 2 माह का कनूनी नोटिस दिये ही वाद पेश किया जा रहा है प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80(2) जा0दी0 का अलग से पेश किया जा रहा है।

दिनांक 15.04.2018 को प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 से साज बाज होकर बिना तकसीम कराये ही विवादित आराजी में अपने नाम विधुत संबंध लेने की व कब्जा काश्त आराजी वादी में मजाहमत मदाखलत पैदा करने की ऐलानिया तौर पर धमकी दी है जो तारीख दावा हाजा के लिये बिनाए दावी बिनाए मुखासमत पैदा होकर दावा हाजा मामूलन अन्दर मियाद पेश है।

डिक्री इजाय तकासमा आराजी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या–1 इस कदर पारित की जावे की हाल आराजी ख0 सं0 302 रकबा 0.12 है0 303 रकबा 0.94 है0, 310 रकबा 0.26 है0 462 रकबा 0.53 है0, 478 रकबा 0.43 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.28 है0 वाके मौजा ईकरोटिया तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0 को मुताबिक दर्ज हिस्सा राजस्व रिकार्ड अनुसार कानूनी रूप से बाई मीट्स एण्ड बाउन्डस तकसीम किया जाकर पक्षकारान के अलहेदा अलहेदा खाते कायम किये जाकर कुरें जात किये जावे।

वाद प्रविष्ट अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

डिक्री इजराय हुक्म ईम्तमाई दवामी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कदर पारित की जावे की हाल आराजी ख0 सं0 302 रकबा 0.12 है0 303 रकबा 0.94 है0, 310 रकबा 0.26 है0 462 रकबा 0.53 है0, 478 रकबा 0.43 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.28 है0 वाके मौजा ईकरोटिया तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0 के सामलाती कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग आराजी वादी मे प्रतिवादी संख्या 1 किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत पैदा न करे, वादी को सामलता मे आराजी जोतने फसल काटने समेटने मे रूकावट बाधा पैदा न करे, बिना तकसीम कराये रहन बय आदी से खुर्द बुर्द मुन्तकिल न करे तथा ख0 सं0 302 मे बिना तकसीम कराये प्रतिवादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 2 से कृषि विधुत संबंध न लेवे, राजस्व रिकार्ड एवं मौका की यथावत् स्थिती कायम रखे।

हर्जा खर्चा मुकदमा व अन्य दीगर दादरसी जो बनजीदक अदालत श्रीमान हो वादी को अता फरमाई जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने न्यायालय मे उपस्थित होकर जवाब इकबाल दावा पेश किया जिसमे अंकित किया कि विवादित आराजी मिन प्रतिवादी व वादी की खातेदारी कब्जा काश्त कि आराजी है जिसमे अपने–अपने हक हिस्से मे आई आराजी पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। मिन प्रतिवादी ने अपने हक हिस्से मे आई हुई आराजी मे बोरिंग कर रखा है। विवादित आराजी का तकासमा कर मिन प्रतिवादी का अलग खाता कायम कर दिया जाता है तो मिन प्रतिवादी को कोई आपत्ति नही है। दिनांक 31/05/2018 को वादी के वाद मे प्राथमिक डिकी जारी की गई। तहसीलदार कोटकासिम को कुर्रेजात कायम कराने के लिये अहकाम जारी किया गया। तहसीलदार कोटकासिम से कुर्रेकायमी की रिपोर्ट प्राप्त की जाकर सलंग्न पत्रावली की गई। दिनांक 13.06.2018 को पत्रावली राजस्व अभियान कैम्प ग्राम पंचायत ईकरोटिया मे पेश हुई पक्षकारान उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 1 ने कैम्प कोर्ट मे कुर्रेकायमी रिपोर्ट पर ऐतराज प्रार्थना पत्र पेश किया।

विद्वान अधिवक्ताओ कि बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस मे अपने वाद पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराया और कहा कि दोनो पक्षो की सहमति से प्राथमिक डिकी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा दिनांक 13.06.2018 को राजस्व अभियान कैम्प ग्राम पंचायत ईकरोटिया मे जो ऐतराज प्रार्थना पत्र पेश किया है वो बेबुनियाद हैं। विवादित आराजी सडक से लगती हुई है। पक्षकारान ने खेत मे ही अपने मकानात बना रखे है। ग्राम पालपुर मे भी अपनी सहमति से पक्षकारान ने विभाजन कराया जिसमे पक्षकारान के हस्ताक्षर है। इसलिए प्रार्थना पत्र ऐतराज कुर्रेकायमी खारिज करते हुए वाद को मुताबिक कुर्रेकायमी डिकी फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी बहस मे अंकित किया कि वाद संख्या 76/2018 व वाद संख्या 133/2018 दो दावो मे समान पक्षकार है आराजी अलग–अलग ग्रामो मे स्थित है। ग्राम पालपुर की आराजी मे कब्जा अनुसार कुर्रेकायमी की गई है लेकिन ग्राम ईकरोटिया मे मौका कब्जा अनुसार ना कर के कुर्रेकायमी मे हर खेत का 1/2 हिस्सा कर दिया गया जो गलत है। कुर्रेकायमी रिपोर्ट पर तहसीलदार कोटकासिम के हस्ताक्षर भी नही है। दोनो भाई खेतो मे ही रहते है। प्रतिवादी संख्या 1 ने खसरा नम्बर 302 मे अपने मकान बना रखे है। इसलिए ऐतराज प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए पुनः कुर्रेकायमी रिपोर्ट मंगवाई जावें। इस संबंध मे आर.आर.डी – 14.03.2013 पेज संख्या 177 की दलिल पेश की।

विद्वाव अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया पत्रावली एवं सलंग्न दस्तावेजात, कुर्रेकायमी रिपोर्ट एवं ऐतराज कुर्रेकायमी रिपोर्ट का अवलोकन किया। कुर्रेकायमी रिपोर्ट के अवलोकन से जाहिर है कि रिपोर्ट पर पक्षकारान वादी जगदीश चन्द एवं प्रतिवादी संख्या 1

खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

लक्ष्मीनारायण के हस्ताक्षर अंकित है। प्रारम्भिक डिक्री जारी करते समय अंकित किया जाता है कि विवादित आराजी मे अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे से बुरी बाईमीटस एण्ड बाउण्डस तकासमा कर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के लिए तहसीलदार कोटकासिम को अहकाम जारी किया जाता है। विवादित आराजीयात सडक से लगती हुई है। तहसीलदार कोटकासिम द्वारा कुर्रेकायमी (विभाजन प्रस्ताव) सही प्रतीत होता है। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने इकबाल जवाब दावा मे भी अंकित किया है कि विवादित आराजीयात का विभाजन बाईमीटस एण्ड बाउण्डस कर खाता अलग कर दिया जावे तो कोई आपत्ति नही है। स्वय प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये बाईमीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन का कथन किया है। विभाजन प्रास्ताव पर वादी प्रतिवादी दोनो के हस्ताक्षर है। जिस खसरा नम्बर 302 बाबत आपत्ति पेश की गई है, वह खसरा सडक से लगते हुए स्थित है इसलिए बाइमीटस एण्ड बाउण्डस यह उचित प्रतीत होता है कि दोनो पक्षकारो को प्रत्येक खसरे मे समान प्रकृति की भूमि मिले। प्रार्थना पत्र ऐतराज कुर्रेकायमी निरस्त किया जाकर वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 302/2/0.06, 303/2/0.47, 310/2/0.13, 462/2/0.27, 478/2/0.21 कुल किता 5 कुल रकबा 1.14 है0 वाके ग्राम ईकरोटिया तह0 कोटकासिम मे जगदीश पुत्र देवकरण जाति अहीर सा0 देह खातेदार राहिन पी .एन .बी. शाखा कोटकासिम की रहेगी। इसी प्रकार आराजी खसरा नम्बर 302/1/0.06, 303/1/0.47, 310/1/0.13, 462/1/0.26, 478/1/0.22 कुल किता 5 कुल रकबा 1.14 है0 वाके ग्राम ईकरोटिया तह0 कोटकासिम मे लक्ष्मीनारायण पुत्र देवकरण जाति अहीर सा0 देह खातेदार की रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद हो। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय दिनांक आज दिनांक 30.05.2019 को टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम(अलवर)
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

(पर्चा डिक्री)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा आ0ए0एस0

मुकदमा संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
76 / 18	27.04.2018	30.05.2019

1. जगदीश पुत्र श्री देवकरण जाति अहीर निवासी ईकरोटिया तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0।

:– वादी

:: बनाम ::

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री देवकरण जाति अहीर निवासी ईकरोटिया तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0 वगैरा।
2. सहायक अभियन्ता जयपुर वि0वि0नि0लि0 कोटकासिम जिला–अलवर राज0।
3. श्रीमान उप पंजियक महोदय कोटकासिम, जिला–अलवर राज0।
4. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर कोटकासिम जिला–अलवर राज0।
5. पी0एन0बी0 शाखा कोटकासिम जरिये शाखा प्रबन्धक पी0एन0बी0 कोटकासिम जिला अलवर राज0।

:–प्रतिवादीगण

दावा तकासमा आराजी बमय हुक्म ईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थितः–

1. **श्री मनोज कुमार यादव अभिभाषक वादी**
2. **श्री भगत सिंह चौधरी अभिभाषक प्रतिवादी सं01**

अतः वादी का वाद इस प्रकार डिकी किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 302/2/0.06, 303/2/0.47, 310/2/0.13, 462/2/0.27, 478/2/0.21 कुल किता 5 कुल रकबा 1.14 है0 वाके ग्राम ईकरोटिया तह0 कोटकासिम मे जगदीश पुत्र देवकरण जाति अहीर सा0 देह खातेदार राहिन पी .एन .बी. शाखा कोटकासिम की रहेगी। इसी प्रकार आराजी खसरा नम्बर 302/1/0.06, 303/1/0.47, 310/1/0.13, 462/1/0.26, 478/1/0.22 कुल किता 5 कुल रकबा 1.14 है0 वाके ग्राम ईकरोटिया तह0 कोटकासिम मे लक्ष्मीनारायण पुत्र देवकरण जाति अहीर सा0 देह खातेदार की रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद हो। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय दिनांक आज दिनांक 30.05.2019 को टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम(अलवर)

Scanned by CamScanner